न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/7207/2006/अलवर

1– बाबूलाल पुत्र लल्लूराम जाति महाजन निवासी ग्राम भैंसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

..... अपीलांट

बनाम

1– हरिमोहन पुत्र पांचूराम जाति माली,
2– चन्दू पुत्र पांचूराम जाति माली,
3– चिरंजीलाल पुत्र पांचूराम जाति माली,
4– मु0 कमला पुत्री पांचूराम जाति माली,
5– मु0 छोटी पुत्री पांचूराम जाति माली समस्त निवासी मोहल्ला ब्रहमचारी, अलवर।
6– छुट्टन पुत्र श्री टुण्डा जाति माली निवासी भैंसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
7– दल्लू पुत्र श्री सरदार जाति माली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
8– मु0 केसर पुत्री सरदार जाति माली पत्नि मूल्याराम जाति माली निवासी ग्राम खुडियाना तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
9– मु0 मकतूली पुत्री सरदार पत्नि रामस्वरूप जाति माली निवासी ग्राम खुडियाना तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
10– मु0 चन्नो पुत्री सरदार पत्नि मांगेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड़ जिला अलवर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री प्रदीप विश्नाई, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री अजीत लोढ़ा अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांक :23–9–2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–10–2006 अपील सं0 106/2003 बउनवान हरिमोहन बनाम बाबूलाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक व दखलयाबी के तहत अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरुद्ध

इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 285, 295, 296, 287, 298, 300 जिसके हाल नं0 448, 449, 450, 453, 461, 462 वाके ग्राम भैंसड़ावत जो आराजी विवादित नहीं है तथा विवादित आराजी गत ख0 नं0 493 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा हाल नं0 815 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा गत ख0 नं0 499 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा हाल नं0 844 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा , गत ख0 नं0 500 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा हाल ख0 नं0 827 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, गत ख0 नं0 633 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा हाल नं0 553 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत का वादी लल्लूराम व उसका भाई कन्नीराम खातेदार काश्तकार थे। वादी व वादी के भाई ने उक्त विवादित आराजी के हकूक काश्तकारी प्रतिवादी नं0 1 ल0 6 के पिता पांचूराम व छुट्टन सरदार के पास 2450/– रू0 में दिनांक 29–12–1951 को बाकब्जा रहन कर दी और इसकी ताईद में एक रहननामा वादी व उसके भाई कन्नीराम ने प्रतिवादीगण/अपीलांट के पिता के हक में तहरीर व तकमील कर दिया और रजिस्ट्री रूबरू सब रजिस्ट्रार करा दी। सम्वत् 2010 में 500/– रू0 अदा करने पर प्रतिवादी से ख0 नं0 285 रकबा 6 बिस्वा, 295 रकबा 7 बिस्वा, 296 रकबा 5 बिस्वा, 287 रकबा 9 बिस्वा, 298 रकबा 12 बिस्वा, 300 रकबा 2 बिस्वा रहन से मुक्त करा लिये और कब्जा वापस प्राप्त कर लिया। सम्वत् 2012 में वादी व मृतक कन्नीराम ने प्रतिवादीगण के पिता को 1000/– रू0अदा करके ख0 नं0 493 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा रहन से मुक्त करा ली और वादी ने कब्जा प्राप्त कर लिया लेकिन सम्वत् 2018 में प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के पिता पांचूराम व छुट्टन सरदार ने झगड़ा किया और दफा 145 जा0फो0 में मुकामी पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर कब्जा कर लिया। कब्जा रहन के आधार पर किया गया। वादी विवादित आराजी का खातेदार है, किन्तु सैटलमेन्ट वालों ने प्रतिवादीगण से मिलकर वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को बतौर खातेदार दर्ज कर दिया जो इन्द्राज कानून व खिलाफ मौका है। कन्नीराम बिला औलाद फौत हो गया, इसलिए वादी तन्हा वारिस काबिज जायदाद है। इसलिए वादी को गत ख0 नं0 493, 499, 500, 633 मिन जिसमे हाल नं0 815, 844, 827, 553 वाके ग्राम भैंसड़ावत कायम हुए हैं का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा हाल इन्द्राज बन्दोबस्त दुरूस्त किया जाकर वादी को दखल दिलाया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने

पर दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इन्कार किया। दिनांक 11–3–1998 को तहत न्यायालय द्वारा वादीगण का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 151 सी0पी0सी0 कायम रिसीवरी स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया गया। रिसीवरी आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी में की जो अपील दि0 14–6–1999 को स्वीकार की गई व 500 रू0 प्रतिबीघा के हिसाब से केस अमानत राशि जमा कराने के आदेश दिये। इसके उपरान्त दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस के आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–2003 से वादी का वाद डिक्री कर दिया जिसकी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपील में तनकीयात कायम करते हुए दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 12–10–2006 को अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–7–2003 निरस्त कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में एवं मौखिक बहस में अपील के मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी के पूर्वज लल्लूराम व कन्नीराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को जरिये पंजीकृत रहननामा दिनांक 29–12–1951 को प्रतिवादीगण के पूर्वज पांचूराम आदि के रहन रखी थी, स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में इसे स्वीकार किया है और उक्त रहननामा से यह स्पष्ट है कि रहनामा से ही प्रतिवादीगण को कब्जा सौंपा गया था और उसकी एवज में वादीगण द्धारा कीमत प्राप्त की गई थी। रहननामा दिनांक 29–12–1951 के 20 वर्ष दिनांक 29–12–1971 को पूर्ण होने के उपरान्त वादीगण स्वतः ही रहन रखी गई भूमि प्राप्त करने के अधिकारी बन गये थे और प्रतिवादीगण का यह कर्तव्य था कि वे भूमि का कब्जा वादी को सौंप देते किन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसा नहीं करने

पर वादी ने दिनांक 2–5–1972 को वाद प्रस्तुत कर दिया जो विधिक प्रावधान के अनुसार रहन पूर्ण होने की दिनांक 25–12–1971 के बाद प्रतिवादीगण भूमि पर अतिक्रमी हो जाने से अतिक्रमी को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादी का वाद डिक्री करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त विधिक प्रावधान को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील को प्रतिवादीगण ने स्वीकार करने हुए अपील में लिये गये आधार को अपनी बहस में मुख्य बिन्दु बनाया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय प्रतिवादीगण भूमि पर काबिज होने के आधार पर स्वतः ही खातेदार बन जाते हैं जबकि उक्त प्रावधान प्रतिवादी के पक्ष में लागू नहीं होते क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 15 व 19 के तहत ही किसी व्यक्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय खातेदारी केवल मात्र इस आधार पर प्राप्त हो सकती है कि वह तत्समय विवादित आराजी का कृषक अथवा उप कृषक श्री श्रेणी से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रहा हो, अन्यथा वह किसी भी रूप में भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहा है। इस प्रकरण में स्वयं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह स्वीकार किया है कि उनके द्धारा भूमि का कब्जा पंजीकृत रहननामें से प्राप्त किया गया और वे भूमि रहन रखने के कारण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जहां तक प्रतिवादीगण के खातेदारी दर्ज होने का प्रश्न है तो उनके द्वारा अपने जवाब दावा में यह कथन स्वीकार किया है कि बन्दोबस्त विभाग ने उनके पक्ष में खातेदारी दर्ज की है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बन्दोबस्त विभाग/सैटलमेन्ट को राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही वे किसी भी रेकार्ड में परिवर्तन कर किसी भी पक्षकार को खातेदार घोषित करने का अधिकारी है। इस आधार पर भी जो वादीगण की रहन की गई भूमि पर प्रतिवादीगण की खातेदारी सैटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रदान की गई थी वह बिना किसी अधिकार के प्रदान किये जाने के कारण शून्य व विधि विरूद्ध थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की थी किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त विधिक सिद्धान्त की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

उन्होंने अपने समर्थन में 2006 डी0एन0जे0 पेज 26, 1995 डी0एन0जे0 पेज 178 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि सम्वत् 2006 से वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण/अपीलांट काश्त करते चले आ रहे है जबकि रहननामा रेस्पो0 का सन् 1951 यानि सम्वत् 2008 का है। राजस्व रेकार्ड में भी वादी/रेस्पो0 को गैर मौरूसी दर्ज कर रखा है। गैर मौरूसी की हैसियत गैर खातेदार जैसी होती थी। गैर मौरूसी को आराजी रहन व हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं था। उसे केवल काश्त करने का अधिकार था। दिनांक 15–10–1955 को जो व्यक्ति जिस आराजी को काश्त कर रहा था उसी व्यक्ति को उस जमीन के खातेदारी हकूक प्राप्त हो गये। अपीलांट का कब्जा सम्वत् 2012 यानि 15–10–1955 को होना वादी स्वयं स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये। धारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्यवाही चलने से भी यह तथ्य गलत हो जाता है कि विवादित आराजी रहन रखी गयी। रहननामें को साबित करने के लिए जो गवाहान प्रस्तुत किये गये उनमें से कोई भी अटेस्टिंग गवाह नहीं है, केवल मात्र मौखिक गवाह है जिस शहादत को कोई अहमियत नहीं है जैसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 में कहा गया है। जब मियाद रहन की 60 साल रखी गयी थी तो बीच में 500 रू0 देकर ख0 नं0 493 वो 1000 रू0 देकर कुल 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि मुक्त किस आधार पर करायी। वादी/रेस्पो0 की साक्ष्य लिखित दस्तावेज के खिलाफ है। धारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत कब्जा प्रतिवादीगण/अपीलांट को दिलाया गया। यदि वादी/रेस्पो0 इस कब्जे से नाराज थे तो इस 145 सी0आर0पी0सी0 के आदेश के खिलाफ कार्यवाही करते लेकिन वादी/रेस्पो0 ने हमारे कब्जे को कहीं चुनौती नहीं दी। इससे यह स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 हमारे कब्जे से संतुष्ट थे। धारा 43 आर0टी0एक्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी अतिक्रमी नहीं है क्योंकि कब्जा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत दिया गया है जिस कब्जे को कभी चुनौती नहीं दी गई। सम्वत् 2012 में ख0 नं0 493 को रहन मुक्त कर दिया। वादी/रेस्पो0 ख0 नं0 493 पर सम्वत् 2996 से प्रतिवादी/अपीलांट के कब्जे को स्वीकार करता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने भी कब्जा अपीलांट का मानकर कब्जा प्रतिवादी/अपीलांट को देने के आदेश दिये। धारा 15 के तहत टिनेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना माना है। वादग्रस्त आराजी से

अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 काबिज काश्त है तथा वादीगण ने वादी का वाद गलत तथ्यों पर डिक्री किया किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर उनका युक्तियुक्त आधार मानकर अपीलांट की अपील सही स्वीकार की है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन किया ।

7– प्रश्नगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–2003 में माना कि तनकियात का समग्र विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाना एवं विवादित आराजी को वादी को दखल दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादी को आराजी ख0 नं0 815 रकबा 3–11 बीघा, 844 रकबा 2–09 बीघा, 827 रकबा 3–05 बीघा, 553 रकबा 3–18 बीघा वाके ग्राम भैंसड़ावत का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी से बेदखल किया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–10–2006 में अंकित किया कि अपीलांट का कब्जा विवादित आराजी पर सम्वत् 2006 से प्रमाणित है। रेस्पो0 द्वारा रहन दिनांक 29–12–1951 को बाकब्जा प्रतिवादीगण के पास रखना यह प्रमाणित करता है कि वक्त रहन वादी/रेस्पो0 का कब्जा विवादित आराजी पर नहीं था और इसी आधार पर इन्तकाल सं0 399 खारिज किया गया। स्वयं वादी द्धारा यह कहना कि सम्वत् 2010 मे 500 रू0 व सम्वत् 2012 में 1000 रू0 प्रतिवादीगण/अपीलांटान को अदा करके रहन फक करा ली गई थी और कब्जा वादी ने प्राप्त कर लिया लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से वादी का यह कथन साबित नहीं है। सम्वत् 2008 की जमाबन्दी में प्रतिवादीगण/अपीलांटान को गैर मौरूसी साल 2 दर्ज किया हुआ है और रहन से पूर्व प्रतिवादीगण को कब्जा साबित है। इसलिए बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण/अपीलांटान का नाम बतौर खातेदार सही दर्ज किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उप जिलाधीश लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–7–2003 निरस्त

की जाती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को आराजी विवादित को बागुजर करने के आदेश दिये जाते हैं।

8– पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। रहननामा दिनांक 29–12–1951 का है। रहन का इन्तकाल सं0 399 दिनांक 22–12–1952 उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–7–2003 में निम्नानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया गया है–

तनकी सं0 1– आया ख0 नं0 493, 499, 500, 633 वाके ग्राम भैसड़ावत अन्य खसरा नम्बरान के साथ प्रतिवादी के पास रहन दिनांक 29–12–51 में रखे गये थे। रहन की मयाद पूर्ण हो चुकी है तथा वादी इस खसरा नम्बरान का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? में लिखा है कि वादी द्वारा दिनांक 29–12–1951 को विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड रहननामा प्रतिवादीगण के पास रहन रखा था। वादी द्वारा रहन से छुड़वा लिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 (बी) कब्जा रहन (यूज फ्रेक्चुअरी एण्ड मारगेज) के बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के पूर्व में कृषि कार्य के हकूक काश्त रहन किये जाने की मियाद 20 वर्ष निर्धारित की गयी है और 20 वर्ष पूरे होने के बाद रहन स्वतः ही फक हो जाती है और यदि उक्त अवधि के बाद प्रतिवादीगण रहन की आराजी को वादीगण को नहीं लौटाया है तो वह बतौर अतिक्रमी ही माना जावेगा। अतिक्रमी को कानूनन कोई अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी नं0 1 वादी सिद्ध करने में असफल रहा है।

तनकी सं0 2– आया ख0 नं0 493 के बाबत धारा 145 जा0फौ0 की कार्यवाही के द्धारा कब्जा प्रतिवादीगण को सम्भलवाया गया था, इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण का कब्जा इस ख0नं0 पर धारा 43 आर0टी0एक्ट के परिपेक्ष्य में बतौर अतिक्रमी है और वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? आराजी सम्वत् 2012 में रहन से मुक्त हो गयी थी और कब्जा वापस लल्लूराम को प्रतिवादीगण से मिल गया था तो उसके बाद प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा किया है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2016 में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं होना वादी की काश्त प्रकट करता है। सम्वत् 2017–18 में प्रतिवादीगण ने इस रकबे पर पुनः कब्जा कर लिया जो कि अनुचित व नाजायज था। धारा 145 जा0फौ0 के निर्णय के आधार पर पुनः कब्जा प्राप्त करने से प्रतिवादीगण का कब्जा जायज नहीं माना जा सकता। वादी कब्जा

प्राप्त करने का अधिकारी होने से तनकी नं0 2 को सिद्ध करने में असफल रहा है।

तनकी सं0 3– आया भूमि विवादित वादीगण की गैर मौरूसी थी। इसलिए भूमि को रहन रखने का अधिकार वादी को नहीं था। इसलिए नामान्तकरण सं0 399 नामंजूर हुआ इसका दावा पर क्या असर होगा ? आर0टी0एक्ट सन् 1955 में लागू हुआ था। इस प्रकार से बिस्वेदारी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रावधान लागू होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मूर्तहीन को खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं होते। वह एक टिनेन्ट ही हो सकता है लेकिन उसकी टीनेन्सी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (4) के प्रावधानों तक ही सीमित होगी। रहननामा साबित हो चुका है तो इन्तकाल सं0 399 जो रहन के संबंध में खारिज किया गया है, दावे पर कोई असर नहीं पड़ता।

तनकी सं0 4– आया वादी ने विवादित आराजी खसरा नं0 बाबत दावा किया था जो प्रतिवादी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानते हुए वादी को लौटाया गया और वादी को इस दावे के पेश करने का अधिकार नहीं है ? प्रतिवादीगण ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

तनकी सं0 5– आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा 29–12–51 वो इससे पूर्व नहीं था तथा वादी के अधिकार बिस्वेदारी उन्मूलन के विवादित भूमि से समाप्त हो चुके है ? नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007 ल0 2010 में सम्वत् 2007 पर लल्लू वगैरा वादीगण की काश्त दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010 में विवादित आराजी पर लल्लूराम, कन्नीराम पि0 रामलाल महाजन सा0देह गैर मौरूसी साल 40 अंकन प्रमाणित है। जिससे प्रमाणित होता है कि विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा 29–12–1951 से पूर्व से था। अतः वादी अपने जायज अधिकार पाने का मुश्तहक है।

तनकी सं0 6– आया रहन का फसल मशला राज0टी0एक्ट के प्रगतिशील होने के पूर्व का होने के कारण दावा संधारणीय नहीं है ? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (43) (4) के अनुसार यह वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में श्रवण योग्य है।

तनकी सं0 7– आया विवादित आराजी पर सम्वत् 2006 से प्रतिवादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है क्योंकि वादी वो प्रतिवादी के मध्य सम्वत् 2020 में समझौता हो चुका है । इसलिए वादी दावा लाने के एस्टोप्ड हैं ? प्रतिवादीगण द्वारा ऐसेा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

किया है जिससे सम्वत् 2006 से कब्जा काश्त सिद्ध हो और सम्वत् 2020 में वादी से समझौता होना सिद्ध हो।

तनकी सं0 8– आया प्रतिवादीगण व वादीगण ने रहननामें के पूर्व सम्मत् 2006 में भूमि विवादित काश्त पर बतलाई और रहननामा की अवधि समाप्त होने पर प्रतिवादीगण के अधिकार रिवाईज हो चुके हैं? जैसाकि उक्त तनकीयात में विवेचित किया जा चुका है कि सम्वत् 2007 में विवादित आराजी वादीगण के नाम थी तथा सम्वत् 2008 में वादी ने प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड रहननामा रहन कर दी। जब रहननामें से पूर्व विवादित आराजी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को काश्त पर बताई ही नहीं गई और न ही इस संबंध में रेकार्ड में अंकन है तो प्रतिवादीगण के अधिकार रिवाईज नहीं हो सकते हैं। इसलिए तनकी सं0 8 वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की गई है।

तनकी सं0 9– आया वादी 1971 से विवादित आराजी का लगान का 15 गुना राशि बतौर हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है? चूंकि आर0टी0एक्ट की धारा 43 के अनुसार आर0टी0एक्ट से पूर्व किये गये रहन की मियाद 20 वर्ष तय की गई जो 29–12–71 को ही समाप्त हो चुकी है और उसके बाद से प्रतिवादीगण अतिक्रमी बतौर काबिज है। इसलिए तनकी सं0 9 की रिलीफ वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है।

तनकी सं0 11– आया वादपत्र के चरण सं0 5 के अनुसार वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है और इन्द्राज हाल बन्दोबस्त हकूक वादी के खिलाफ बातिल बेअसर है? यह वाद सन् 1971 से विचाराधीन है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 के अनुसार विवादित आराजी पर लल्लूराम कन्नीराम पुत्रान रामलाल गैर मौरूसी काश्तकार दर्ज है जबकि प्रतिवादी का कब्जा काश्त बाकजा रहन के आधार पर दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 में खाता सं0 248, 245 में प्रतिवादी को खातेदार दर्ज कर रखा है। ये इन्द्राज दौराने दावा किये गये है जबकि प्रतिवादी मुर्तहन मौरगेजी है जिनको खातेदार दर्ज नहीं किया जा सकता है। रहन 20 वर्ष बाद स्वतः ही फक हो चुका है। इसलिए तनकी सं0 11 बहक वादीगण तय की गई है।

तनकी सं0 12– आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं? आर0टी0एक्ट की धारा 43 के अनुसार आर0टी0एक्ट से पूर्व के रहन को 20 वर्ष की मियाद फक होने की मानी है। रहननामा प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी दिनांक 29–12–51 को रहन की जो 20 वर्ष बाद दिनांक 29–12–71 को

स्वतः ही फक हो चुकी है किन्तु प्रतिवादी ने कब्जा नहीं लौटाया इसलिए वे बतौर अतिक्रमी काबिज रहे। अतः कानूनन प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल किया जाना न्यायसंगत है। इसलिए तनकी सं0 12 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की गयी है।

9– अतः दावा डिक्री किया गया।

10– अपीलीय न्यायालय ने तनकी वार निर्णय इस प्रकार पारित किया है –

तनकी सं0 1– आया ख0 नं0 493, 499, 500, 633 वाके ग्राम भैसड़ावत अन्य खसरा नम्बरान के साथ प्रतिवादी के पास रहन दिनांक 29–12–51 में रखे गये थे। रहन की मयाद पूर्ण हो चुकी है तथा वादी इस खसरा नम्बरान का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? प्रदर्श–1 रहननामा, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2013–लल्लूराम, कन्नीराम खतोदार। एक्जी.–5 ए. विरासत इन्तकाल कन्नीराम, एक्जी–6 मिलान क्षेत्रफल, एक्जी–7 जमाबन्दी सम्वत् 2047 खातेदार लल्लूराम, एक्जी–8 जमाबन्दी सम्वत् 2045 छुट्टन, सरदार, पांचूराम के वारिसान हरिमोहन को खातेदार, एक्जी–डी.–1 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–16 ख0 नं0 493 लललूराम, कन्नीराम गैर मौरूसी 34 साल दर्ज है। ख0 नं0 499, 500 लल्लूराम, कन्नीराम बहिस्सा बराबर बकाश्त सरदार, छुट्टन, पांचूराम गैर मौरूसी 5 साल दर्ज है। ख0 नं0 633 पर बकाश्त छुट्टन, सरदार दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017–20 में बकाश्त सरदार, छुट्टन, पांचूराम दर्ज है। ख0 नं0 493 के बाबत नोट है। उपखण्ड अधिकारी ता0 3–10–1962, खसरा टीप फसल खरीफ व रवी सम्वत् 2018 कलमजन किया जाकर बहक छुट्टन, सरदार व पांचूराम के नाम दुरूस्ती की गई। आज्ञा तहसील 6–10–62 नम्बर 5764 के मुताबिक अमल किया गया। एक्जी–डी.–2 जमाबन्दी सम्वत् 2012 में भी इसी प्रकार का इन्द्राज है। जमाबन्दी सम्वत् 2008 ख0 नं0 291, 633, 499, 500 बकाश्त पांचूराम, सरदार, छुट्टन गैर मौरूसी साल 2 दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008–10 में ख0 नं0 493, 499 व 500 काश्त सरदार वगैरा है। एक्जी. डी–4 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा इन्तकाल छुट्टन के नाम दर्ज किया गया है। पर्चा आदेश दिनांक 20–7–77 छुट्टन आदि के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021–24 बकाश्त सरदार, छुट्टन दर्ज है। विशेष कॉलम नं0 16 का इन्द्राज इस प्रकार है कि मुताबिक आज्ञा श्रीमान् उप जिलाधीश नं0 19/50 सन् 1962 जैरदफा 145 वो सब

तहसील तारीख 12–3–65 का कब्जा वास्तविक छुट्टन वगैरा खाना नं0 6 को दिया गया, घटना बही में वाका नं0 196 पर अमल कराकर आज्ञा पत्र वापस किया। तारीख 12–3–65 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025 से 28 में भी काश्त सरदार, छुट्टन, पांचूराम की दर्ज है। प्रदर्श–9 इन्तकाल सं0 268 लल्लूराम खातेदार तथा छुट्टन, सरदार, पांच्या को काबिज मानते हुए स्वीकार किया गया। प्रदर्श–10 उज्रदारी प्रार्थना पत्र है, प्रदर्श–11 रहन का इन्तकाल नं0 399 दिनांक 22–12–52 को खारिज किया गया । प्रदर्श–12 जमाबन्दी सम्वत् 2053 खातेदार बाबूलाल दर्ज है। प्रदर्श–13 व 14 में खातेदार छुट्टन, सरदार,पाचूराम के विधिक वारिसानो को खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–15 उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 7–1–1983 में रहन से पूर्व खसरा न0493 पर सरदार, पांचू छुट्टन को काबिज माना गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2008, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007–10 के अनुरूप छुट्टन, सरदार,पाचूराम की काश्त दर्ज है। इसी बात को आधार मानकर इन्तकाल सं0 399 दिनांक 22–12–52 को खारिज किया गया। रहन रखने के वक्त जमाबन्दी सम्वत् 2008 में लल्लूराम की हैसियत गैर मौरूसी की थी। सैटलमेन्ट पर्चा भी छुट्टन वगैरा के नाम दुरूस्त करने का आदेश सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिया गया। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आराजी को रहन से मुक्त कराना साबित हो। पर्चा सैटलमेन्ट के खिलाफ वादी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। सैक्शन 145 सी0आर0पी0सी0 दिनांक 12–3–1965 को कब्जा छुट्टन आदि को दिये जाने तथा खसरा टीप 6–10–1962 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 7–1–1983 के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकरण में रहन ही साबित नहीं है तो वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तनकी सं0 1 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गलत निर्णित की गई। तनकी नं0 1 प्रतिवादी/अपीलांट के पक्ष में है।

तनकी सं0 2– आया ख0 नं0 493 के बाबत धारा 145 जा0फौ0 की कार्यवाही के द्धारा कब्जा प्रतिवादीगण को सम्भलवाया गया था, इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण का कब्जा इस ख0नं0 पर धारा 43 आर0टी0एक्ट के परिपेक्ष्य में बतौर अतिक्रमी है और वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? तहत न्यायालय ने दिनांक 29–12–1951 की रहन को किस आधार पर फक (मुक्त) होना माना, दस्तावेज नहीं

है। कब्जा वापस लल्लूराम को मिलना और प्रतिवादीगण ने पुनः जबरन कब्जा कर लिया किसी दस्तावेज से साबित नहीं है।

तनकी सं0 3– आया भूमि विवादित वादीगण की गैर मौरूसी थी। इसलिए भूमि को रहन रखने का अधिकार वादी को नहीं था। इसलिए नामान्तकरण सं0 399 नामंजूर हुआ इसका दावा पर क्या असर होगा? – वादीगण गैर मौरूसी दर्ज थे। गैर मौरूसी को रहन रखने का अधिकार नहीं था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय प्रतिवादी की ही काश्त दर्ज थी। जमींदारी बिस्वेदारी के समय भी प्रतिवादीगण की ही काश्त थी। प्रतिवादीगण का कब्जा सम्वत् 2006 से लगातार एककरण इन्तकाल नं0 399 नामंजूर किया गया। धारा 43(2) के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः तनकी सं0 3 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की गई।

तनकी सं0 4– आया वादी ने विवादित आराजी खसरा नं0 बाबत दावा किया था जो प्रतिवादी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानते हुए वादी को लौटाया गया और वादी को इस दावे के पेश करने का अधिकार नहीं है? इस तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी/अपीलांट ने कोई सबूत तहत न्यायालय एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये । वादी/रेस्पो0 ने इस आराजी से संबंधित वाद राजस्व न्यायालय में दायर किया और क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए लौटा दिया जिसे केवल मात्र जबानी शहादत प्रतिवादी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण/अपीलांटान द्वारा साबित न करने की सूरत में अपीलांटान के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 5– आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा 29–12–51 वो इससे पूर्व नहीं था तथा वादी के अधिकार बिस्वेदारी उन्मूलन के विवादित भूमि से समाप्त हो चुके है? यह तथ्य पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि सम्वत् 2007 प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी सम्वत् 2008 में काश्त सरदार, छुट्टन व पांचूराम को गैर मौरूसी साल 2 दर्ज किया हुआ है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा दिनांक 29–12–51 से पूर्व से ही था और दिनांक 29–12–51 को भी कब्जा प्रतिवादीगण का था। इसलिए यह तनकी भी वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में तय करने में कानूनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड की अनदेखी करके निर्णय किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

तनकी सं0 6– आया रहन का फसल मशला राज0टी0एक्ट के प्रगतिशील होने के पूर्व का होने के कारण दावा संधारणीय नहीं है?

जहां तक दावे के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है दावा वादीगण/रेस्पो0 द्वारा इस्तकरारहक व दखलयाबी का दायर किया है जो राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य है।

तनकी सं0 7– आया विवादित आराजी पर सम्वत् 2006 से प्रतिवादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है क्योंकि वादी वो प्रतिवादी के मध्य सम्वत् 2020 में समझौता हो चुका है । इसलिए वादी दावा लाने के एस्टोप्ड हैं? जमाबन्दी सम्वत् 2008 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007–2010 में वादग्रस्त आराजी पर काश्त प्रतिवादीगण की दर्ज की गई है और राजस्थान टिनन्सी एक्ट प्रभाव में आया उस समय भी काश्त प्रतिवादीगण की थी जैसा कि तनकी नं0 1 से 5 में विवेचित किया जा चुका है। जहां तक प्रश्न समझौते का है पत्रावली पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए किसी भी समझौते के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिए यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण/अपीलांटान के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 8– आया प्रतिवादीगण व वादीगण ने रहननामें के पूर्व सम्वत् 2006 में भूमि विवादित काश्त पर बतलाई और रहननामा की अवधि समाप्त होने पर प्रतिवादीगण के अधिकार रिवाईज हो चुके हैं? पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से साबित है कि प्रतिवादीगण/अपीलांट का कब्जा सम्वत् 2006 से विवादित आराजी पर है। इस सन्दर्भ में जमाबन्दी सम्वत् 2008 प्रस्तुत की गई जिसमें बकाशत सरदार, छुट्टन व पांचूराम दर्ज है तथा इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007 से 2010 में दर्ज है। अतः तनकी सं0 8 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण/अपीलांटान के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 9– आया वादी 1971 से विवादित आराजी का लगान का 15 गुना राशि बतौर हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है? चूंकि वादीगण रहन के समय काबिज नहीं थे। रहन रखने से पूर्व ही प्रतिवादीगण का कब्जा विवादित आराजी पर था और दिनांक 29–12–51 को विवादित आराजी के बाबत वादीगण भी गैर मौरूसी राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे तथा प्रतिवादीगण भी जमाबन्दी सम्वत् 2008 में गैर मौरूसी साल 2 दर्ज हैं। जमाबन्दी एक रेकार्ड ऑफ राईट है। जब रहन रखने का अधिकार वादी को नहीं है तो दिनांक 29–12–71 को रहन की अवधि 20 साल बाद लगान का 15 गुना राशि बतौर हर्जाना प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यह तनकी वादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटान के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 11– आया वादपत्र के चरण सं0 5 के अनुसार वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है और इन्द्राज हाल बन्दोबस्त हकूक वादी के खिलाफ बातिल बेअसर है ? पूर्व की तनकियों में यह तय किया जा चुका है कि प्रतिवादीगण सम्वत् 2006 से विवादित आराजी पर काबिज हैं और जमाबन्दी सम्वत् 2008 में प्रतिवादीगण भी गैर मौरूसी दर्ज किया हुआ है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आया उस समय एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ उस समय प्रतिवादीगण का कब्जा था। इसलिए बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के अनुसार खातेदार हो गये। इसलिए वादी चरण सं0 5 के अनुसार विवादित आराजी का खतोदार काश्तकार दर्ज राजस्व रेकार्ड में कराने का नहीं है। इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण/अपीलांटान के हक में तय की गयी है।

तनकी सं0 12– आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं ? प्रतिवादीगण सम्वत् 2006 से तथा जमाबन्दी सम्वत् 2008 में गैर मौरूसी की हैसियत से काबिज है और कब्जा अपीलांट/प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। इसलिए विवादित आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण को अतिक्रमी मानना उचित नहीं है। इसलिए तनकी सं0 12 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण/अपीलांट के हक में तय की जाती है।

11– प्रतिवादीगण सम्वत् 2006 से तथा जमाबन्दी सम्वत् 2008 से गैर मौरूसी की हैसियत से काबिज हैं। रेस्पो0 द्वारा रहन दिनांक 29–12–51 को बाकब्जा प्रतिवादीगण के पास रखना यह प्रमाणित करता है कि वक्त रहन वादी का कब्जा नहीं था और इसी आधार पर रहन का इन्तकाल सं0 399 खारिज किया गया। वादी का रहन को फक कराने तथा कब्जा प्राप्त करने का कथन साबित नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण का कब्जा सम्वत् 2006 से साबित है। इसलिए प्रतिवादीगण को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त हो गयी।

12– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्धान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2006 यथावत रखते हुए उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2003 अपास्त किया जाता है।

13– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) (प्रवीण गुप्ता)

सदस्य सदस्य